(भारत राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 16/2024-सीमा शुल्क

नई दिल्ली,दिनांक 12 मार्च, 2024

सा.का.नि.... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्द्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(i) क्रम संख्या 563क, कॉलम (3) में, प्रविष्टि (ii) में, मद (ड़) के लिए, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
"(ड़) उच्च आवृत्ति एक्स-रे जनरेटर (> 25KHZ) (9022 14 10);"

(ii) क्रम संख्या 563क के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: - -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"563ख	9022 14 10	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों (9022 14 20 या 9022 14 90) के निर्माण में उपयोग के लिए उच्च आवृत्ति एक्स-रे जनरेटर (>25KHz, >=500mA)	10%	-	9
563ग	9022 90 90	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों	10%	-	9

		के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान (9022 14 20 या 9022 14 90), अर्थात्: - (i) लंबवत् बकी; (ii) एक्स-रे टयूब निलंबन; (iii) एक्स-रे ग्रिड;			
563घ	9022 29 00 या 9022 90 90	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों (9022 14 20 या 9022 14 90) के निर्माण में उपयोग के लिए मल्टी लीफ कोलीमेटर/आइरिस	10%	-	9";

(iii) क्रम संख्या 564, कॉलम (3) में, मद (ड.) के लिए, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ड.) उच्च आवृत्ति एक्स-रे जनरेटर (> 25KHz) (9022 14 10);"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से लागू होगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी -190354/15/2023-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 06 मार्च, 2024, जिसे सा.का.नि.158 (अ), दिनांक 06 मार्च, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।